


भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

₹. 10

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND प्राप्य 26

14AA 458133

§ नियम 4 क देखिये §

47 बागेश्वर § अ०जा० § निर्वाचन क्षेत्र से

.....उत्तराखण्ड..... § सदन का नाम § के लिए रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र ।

मैं जसदीश प्रताप टम्टा पुत्र स्व० श्री बघीराम टम्टा आयु 71 वर्ष जो गाम
भकुनखोला पो० ओ० बैजनाथ तहसील गढ़ जिला बागेश्वर का निवासी हूँ और
उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर
निम्न लिखित कथन करता हूँ :-

1. मैं किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से इंडनीय
किसी अपराध § अपराधों § का अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें समक्ष अधिकारिता वाले
न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये है । X लानू नष्टे

यदि अभिज्ञाती किसी ऐसे अपराध/अपराधों का अभियुक्त है, तो निम्नलिखित
जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

§ 1 § मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संघायें... X लानू नष्टे

§ 2 § पुलिस थाना/थाने... X... जिला § जिले § . X... राज्य. X...

§ 3 § सम्बन्धित अधिनियम § अधिनियमों § की धारा § धारायें § और अपराध § अपरा
का संक्षिप्त विवरण § जिसके § जिनके § लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है. X...

§ 4 § न्यायालय जिसके § जिनके § द्वारा आरोप § आरोपों § की विरचना की गयी §

§ 5 § तारीख § तारीखें § जिनको आरोप विरचित किया गया था / किये गये है. X...

§ 6 § क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय द्वा
रकी गई है, है... X लानू नष्टे

2. मुझे किसी अपराध § अपराधों § लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम § 1951 § का 43



✓

की धारा 8 की उप धारा ॥1॥ या उपधारा ॥2॥ में निर्दिष्ट या उप धारा ॥3॥ के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध/अपराधों से भिन्न के लिये दोषी/सिद्धदोष ठहराया गया है/नही ठहराया गया है। और एक बंधी या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नही किया गया है। *~~लागू नहीं~~

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है, तो वह निम्न लिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

- ॥1॥ मामला/घटना सूचना रिपोर्ट संख्या /संख्याएँ ...~~लागू नहीं~~
- ॥2॥ न्यायालय जिसने दण्डित किया है...~~लागू नहीं~~
- ॥3॥ पुलिस थाने/थाना/थाने...~~लागू नहीं~~ जिला/जिले...~~लागू नहीं~~ राज्य...~~लागू नहीं~~
- ॥4॥ सम्बन्धित अधिनियम/अधिनियमों की धारा/धाराएँ और उस अपराध/उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके/जिनके लिए अग्रणी कर्मी आरंभित किया गया है। *
- ॥5॥ तारीख/तारीखों/जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाये गये थे ~~लागू नहीं~~
- ॥6॥ क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारियाता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं...~~लागू नहीं~~

स्थान: बागेश्वर
दिनांक 10.01.2012

[Handwritten Signature]
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस उपधे-पत्र की अन्तर्बस्तु मेरे सर्वात्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। और इसका कोई भी मिथ्या नहीं है। और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गयी है।

बागेश्वर स्थान पर आज तारीख 10.01.2012 ई0 को सत्यापित किया गया।

[Handwritten Signature]
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



Witnessed & Signed
before me
[Handwritten Signature]
Gagan Singh Majha
Notary Public
Bageshwar (U.A.)

प्ररूप 26
(नियम 4 क देखिए)

47 वोगेश्वर (अ००१०००) निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
उतरासुध (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र
मैं जोगेश्वर प्रसाद टन्ना पुत्र/पुत्री/पत्नी बन्धारा राम टन्ना आयु 71 वर्ष, जो शाहपुर पोस्ट गणेशपुर का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिशासी ऐसे किसी अपराध/अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं X लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) X जिला (जिले) X राज्य X
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है X लागू नहीं
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई X लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे X लागू नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। X

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं X लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है X लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने) X जिला (जिले) X राज्य X
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है X लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे X लागू
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है X लागू

Sworn to & Signed before me
Goswami
Ganesh Singh
Notary
Dist. Bageshwar
Date 10.01.20



34
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

वागेश्वर स्थान पर आज तारीख 10.01.2012 को सत्यापित किया।



SLI 2012
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।